भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1822

जिसका उत्तर सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

मध्यस्थता मामले

1822. डॉ. सुजय विखे पाटील :

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल :

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :

श्री हेमन्त पाटिल:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या देश में विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थता की विधि को उत्तरोत्तर प्राथमिकता दी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में मध्यस्थता मामलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;
- (ग) क्या सरकार देश के मध्यस्थता कानूनों में कोई परिवर्तन करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और
- (घ) क्या हितधारकों को नई दिल्ली अंतरर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र में आमंत्रित करने के लिए कोई पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क): जी, हां। विवादों के समाधान के लिए पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता को अधिकाधिक पसंद किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के साथ तालमेल बनाए रखने और देश में विवाद समाधान को पसंदीदा रीति के रुप में मध्यस्थता को बढावा देने के लिए, माध्यस्थतम और सुलह अधिनियम, 1996 को 2015 और 2019 में संशोधित किया गया है।

- (ख): वर्तमान में, भारत में पक्षकारों के बीच की जाने वाली अधिकतम मध्यस्थता तदर्थ मध्यस्थता के रुप में हैं और कुछ संस्थागत मध्यस्थता के रुप में है। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता प्रक्रिया में एकरुपता की कमी के कारण मध्यस्थता मामलों के ऐसे किसी भी डाटा का संकलन सम्भव नहीं है। तथापि, मध्यस्थता के मामलों मे डाटा की अनुपलब्धता के मुद्दे को सम्बोधित करने के लिए, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने धारा 43 ट को अंतःस्थापित किया है जो कि भारत में मध्यस्थतम् पंचाटों के संग्रह को बनाए रखने के लिए भारतीय मध्यस्थम् परिषद को आदेश देता है। इसके अतिरिक्त, न्यायालयों (राज्यवार) में लंबित मध्यस्थता मामलों पर डाटा एकत्र किया जा रहा है और इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।
- (ग): देश में संस्थागत माध्यस्थता को बढ़ावा देने और मध्यस्थता प्रक्रिया को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने, लागत प्रभावी और शीघ्रता से करने की दृष्टि से माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में अभी हाल ही में संशोधन किया गया है। पणधारियों से प्रतिक्रिया की जांच करने के पश्चात माध्यस्थम् और सुलह अधिनयम, 1996 में और संशोधन पर भी विचार किया जा सकता है।

(घ) : जी, नहीं।
